परिपत्र सं.: सीबीएसई/एलओसी/2026 **दिनांक: 17.03.2026**

कक्षा X की द्वितीय बोर्ड परीक्षाओं हेतु एलओसी

प्रधानाचार्य/प्रमुख
सीबीएसई से संबद्ध सभी विद्यालय
(सीबीएसई वेबसाइट के माध्यम से)

विषय: कक्षा X द्वितीय बोर्ड परीक्षा - 2026 हेतु अभ्यर्थियों की सूची (एलओसी) जमा करना।

महोदया/महोदय,

एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुसार, सीबीएसई ने 25 जून 2025 को अधिसूचित दो बोर्ड परीक्षा नीति प्रस्तुत की है। इस नीति के अंतर्गत कक्षा X के छात्रों को मई 2026 में निर्धारित द्वितीय बोर्ड परीक्षा के दौरान अधिकतम तीन विषयों में अपने प्रदर्शन में सुधार करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

2. यह परिपत्र द्वितीय बोर्ड परीक्षाओं हेतु एलओसी के जमा करने के लिए विद्यालयों द्वारा की जाने वाली सभी आवश्यक कार्रवाइयों की व्याख्या करता है। प्रधानाचार्यों से अनुरोध है कि वे उल्लिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें तथा कक्षा X द्वितीय बोर्ड परीक्षाओं 2026 के लिए एलओसी के समयबद्ध जमा करने के लिए तदनुसार कार्रवाई करें।

3. **एलओसी जमा करने के लिए कैसे आगे बढ़ें**

एलओसी सभी इच्छुक छात्रों के लिए विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। चूंकि सीबीएसई पहली बार कक्षा X के लिए द्वितीय बोर्ड परीक्षा आयोजित करेगा, इसलिए यह पता लगाना आवश्यक है कि कितने अभ्यर्थी दूसरी बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, साथ ही वे किन विषयों में शामिल होना चाहते हैं। इसलिए सीबीएसई ने एलओसी जमा करने की समय-सारिणी इस प्रकार निर्धारित करने का निर्णय लिया है, जिससे सभी आवश्यक जानकारी सीबीएसई को पूर्व में ही उपलब्ध हो सके और परीक्षा की सुव्यवस्थित एवं त्रुटिरहित तैयारी सुनिश्चित की जा सके।

अनुसूची निम्नानुसार है:

गतिविधि	अनुसूची
एलओसी प्रस्तुतिकरण-प्रथम चरण	18.03.2026 से 31.03.2026 तक
परीक्षा शुल्क भुगतान-प्रथम चरण	परिणाम घोषित होने के अगले दिन से 5 दिनों तक
एलओसी प्रस्तुतिकरण-द्वितीय चरण	परिणाम घोषित होने के अगले दिन से 5 दिनों तक
एलओसी प्रस्तुतिकरण-द्वितीय चरण	परिणाम घोषित होने के अगले दिन से 5 दिनों तक

एलओसी प्रस्तुतिकरण-तृतीय चरण (विलंब शुल्क सहित)	परिणाम घोषित होने के 7वें दिन से 2 दिनों तक
एलओसी प्रस्तुतिकरण-तृतीय चरण (विलंब शुल्क सहित)	परिणाम घोषित होने के 7वें दिन से 2 दिनों तक

उपरोक्त अनुसूची के अनुसार अंतिम कार्य दिवस पर लाइनें रात्रि 11:59:59 बजे तक खुली रहेंगी।

4. प्रधानाचार्य से अपेक्षाएँ

विद्यालयों के प्रधानाचार्य से छात्रों तथा उनके अभिभावकों के प्रति निम्नलिखित अपेक्षाएँ हैं:-

(क) द्वितीय बोर्ड परीक्षाओं के नियमों के बारे में मार्गदर्शन किया जाए तथा इस सुविधा का उपयोग केवल अत्यावश्यक स्थिति में ही किया जाए।

(ख) पात्रता मानदंड तथा शुल्क जमा करने एवं भुगतान की समय-सारिणी के बारे में सूचित किया जाए।

(ग) सूचित किया जाए कि परीक्षा केंद्रों की संख्या सीमित होगी, इसलिए, उनका परीक्षा केंद्र निकटतम नहीं हो सकता है।

(घ) एक बार आवंटित होने के बाद परीक्षा केंद्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(ङ) सलाह दी जाए कि जो भी किसी भी कारण से द्वितीय बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे प्रथम चरण के दौरान एलओसी जमा करें, जिससे सीबीएसई को अग्रिम तैयारी में सहायता मिलेगी। हालांकि, छात्र परिणाम की घोषणा के आधार पर अंतिम निर्णय ले सकते हैं और फिर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। जो छात्र अपने परिणाम के आधार पर निर्णय लेते हैं, वे द्वितीय चरण में एलओसी एवं परीक्षा शुल्क दोनों जमा कर सकते हैं।

(च) मुख्य परीक्षाओं में उपस्थित हुए और कंपार्टमेंट में रखे गए अभ्यर्थियों को अपना एलओसी फिर से जमा करना होगा, क्योंकि उनके सुधार विषय मानदंड में परिवर्तन हो सकता है।

(छ) मध्य पूर्व देशों के वे छात्र, जहाँ परीक्षाएँ रद्द कर दी गई हैं, वे परिणाम घोषित होने के बाद द्वितीय चरण में अपना एलओसी जमा कर सकते हैं।

5. द्वितीय बोर्ड परीक्षाओं में उपस्थित होने की शर्त

(क) सभी छात्रों के लिए प्रथम बोर्ड परीक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य है।

(ख) सभी उत्तीर्ण एवं पात्र छात्रों को विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान एवं भाषाओं में से किसी भी तीन विषयों में अपने प्रदर्शन में सुधार करने की अनुमति है।

(ग) यदि कोई छात्र प्रथम परीक्षा में 3 या अधिक विषयों में उपस्थित नहीं हुआ है, तो वह द्वितीय परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसे छात्रों को केवल अगले वर्ष फरवरी माह में मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति होगी। तदनुसार वे एलओसी जमा नहीं कर सकेंगे।

(घ) जिन छात्रों का परिणाम प्रथम परीक्षा में कंपार्टमेंट आया है, उन्हें द्वितीय परीक्षा में कंपार्टमेंट श्रेणी के अंतर्गत उपस्थित होने की अनुमति होगी।

(ङ) द्वितीय परीक्षा के एलओसी में किसी भी नए नाम को जोड़ा नहीं जाएगा।

(च) गणित विषय के मामले में नीति के अनुसार अनुमत के अलावा प्रथम परीक्षा से द्वितीय परीक्षा में विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं है।

(छ) प्रथम परीक्षा से द्वितीय परीक्षा के बीच छात्र के डेटा में किसी भी प्रकार का सुधार की अनुमति नहीं है।

(ज) जो अभ्यर्थी प्रथम परीक्षा में सीडब्ल्यूएसएन छात्र के अंतर्गत पंजीकृत थे, उन्हें केवल सीबीएसई द्वारा निर्धारित सुविधाएँ ही प्रदान की जाएंगी। द्वितीय बोर्ड परीक्षा में सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के अंतर्गत किसी नए अभ्यर्थी को अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. आंतरिक मूल्यांकन में सुधार

आंतरिक मूल्यांकन में सुधार का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि यह पूरे वर्ष चलने वाली प्रक्रिया है।

7. द्वितीय बोर्ड परीक्षाओं में उपस्थित होने की पात्रता मानदंड

द्वितीय परीक्षा में उपस्थित होने की पात्रता निम्नलिखित है:

(क) छात्र को प्रथम परीक्षा में कम से कम 3 विषयों में उपस्थित होना आवश्यक है।
(ख) सुधार परीक्षा में उपस्थित होने के लिए छात्र का कक्षा X उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
(ग) कंपार्टमेंट श्रेणी में रखे गए छात्र।
(घ) छठे विषय को बदलकर कक्षा X उत्तीर्ण करने वाले छात्र।
(ङ) यूएफएम श्रेणी 1 के अंतर्गत रखे गए छात्र (यदि अन्यथा पात्र हों)।
(च) वर्ष 2025 की परीक्षाओं में कंपार्टमेंट श्रेणी में रखे गए छात्र।
(छ) कोई भी छात्र जिसने 2026 की मुख्य परीक्षा में 3 या अधिक विषयों में शामिल नहीं हुआ है, वह द्वितीय बोर्ड परीक्षा के लिए पात्र नहीं है।
(ज) विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा में से अधिकतम 3 मुख्य विषयों में सुधार श्रेणी।
(झ) प्रथम/तृतीय अवसर कंपार्टमेंट।
(ञ) कंपार्टमेंट + सुधार।
(ट) 6वें विषय को बदलकर, उन छात्रों के लिए सुधार जिन्होंने विषय उत्तीर्ण कर लिया है।
(ठ) वे खेल छात्र जिन्हें बोर्ड द्वारा अनुमति प्रदान की गई है।
(ड) यदि किसी छात्र ने प्रथम परीक्षा में परीक्षा नहीं दी है या 3 या अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण हुआ है, तो वह द्वितीय बोर्ड परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र नहीं है।
(ढ) ईआर श्रेणी में रखे गए छात्र द्वितीय बोर्ड परीक्षा के लिए पात्र नहीं हैं। उन्हें अगले वर्ष मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी।

8. पाठ्यक्रम और परीक्षा की योजना

द्वितीय बोर्ड परीक्षा उस वर्ष के पहले परीक्षा के पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जाएगी। बाकी निर्देश मुख्य/प्रथम परीक्षाओं के लिए एलओसी के परिपत्र और दो परीक्षा नीतियों के अनुसार समान रहेंगे।

यह अपेक्षा की जाती है कि विद्यालय दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ेंगे, छात्रों का सही डेटा एकत्र करेंगे और इसे सही ढंग से प्रस्तुत करेंगे।

ह/-

(डॉ. संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि: निदेशालय, संगठनों और संस्थानों के संबंधित निम्नलिखित प्रमुखों को इस अनुरोध साथ कि उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी विद्यालयों को जानकारी का प्रसार करें:

1. आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, 18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली -110016 (commissioner-kvs@gov.in)
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी -15, सेक्टर -62, संस्थागत क्षेत्र, नोएडा -201309, (nvsshww@gmail.com, commissioner.nvs@gov.in)
3. सचिव, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस), जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार। (nests-tribal@tribal.gov.in,
4. सचिव, सैनिक विद्यालय सोसाइटी, कमरा नंबर 101, डी -1 विंग, सेना भवन, नई दिल्ली -110001, (pvpsainikschool@gmail.com)
5. महानिदेशक, खेल प्राधिकरण भारत, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। (dg-sai@gov.in)
6. नौसेना शिक्षा समाज (एनईएस), नौसेना शिक्षा निदेशालय, पश्चिम ब्लॉक V, विंग II, तलघर II, आर.के. पुरम, सेक्टर 1, नई दिल्ली 110066 (nesnavy@gmail.com)
7. अध्यक्ष, ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन, एन -1 /9, दूरदर्शन केंद्र के पास, पीओ सैनिक विद्यालय नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा -751005 (oavsbbsr.od@gov.in)
8. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार का शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली -110054। (diredu@nic.in)
9. सार्वजनिक शिक्षा निदेशक (विद्यालय), केंद्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर 9, चंडीगढ़ -160017 (dpi-chd@nic.in)
10. शिक्षा निदेशक, सरकार, सिक्किम, गंगटोक, सिक्किम 737101 (directorhehrdd@gmail.com)
11. अरुणाचल प्रदेश सरकार के विद्यालय शिक्षा निदेशक, ईटानगर -791111 (dirschedn@sify.com)
12. शिक्षा निदेशक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर 744101 (dirschedn@sify.com)
13. निदेशक, विद्यालय शिक्षा विभाग, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी मंजिल, सिविल सचिवालय, लेह-लद्दाख। (pr.secy@ladakh.gov.in)
14. निदेशक, विद्यालय शिक्षा निदेशालय, पुदुचेरी सरकार, ए ब्लॉक, पहली मंजिल, पेरुंथलाइवर कामराज शताब्दी शैक्षिक परिसर, 100 फुट रोड, अन्ना नगर, पुदुचेरी -605 005. (dse-edn@py.gov.in)
15. निदेशक, सम्भोटा तिब्बती विद्यालय सोसायटी, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। (dhe-sml-hp@gov.in)
16. ग्रुप कैप्टन शिक्षा (विद्यालय) शिक्षा निदेशालय, वेस्ट ब्लॉक-, वायु सेना मुख्यालय (आरकेपी), आरके पुरम, नई दिल्ली -110066 (dopsmpr@iaf.nic.in)
17. सचिव एडब्ल्यूईएस, एमओडी (सेना) के एकीकृत मुख्यालय, एफडीआरसी बिल्डिंग नंबर 202. शंकर विहार (एपीएस के पास), दिल्ली कैंट -110010 (coordsection.aweshq@awesindia.edu.in)
18. सीबीएसई के अध्यक्ष की जानकारी के लिए अध्यक्ष के संयुक्त सचिव को।
19. बोर्ड के सभी विभागाध्यक्ष।
20. सीबीएसई के सभी क्षेत्रीय निदेशकों/क्षेत्रीय अधिकारियों से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र को अपने-अपने क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्ध सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को प्रेषित करें।
21. वेब एडमिन, इस अनुरोध के साथ कि वे इस परिपत्र को सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड करें।
22. मीडिया एवं जनसंपर्क, सीबीएसई सूचना हेतु।

अनुलग्नक-क
एलओसी के लिए शुल्क विवरण
कक्षा X द्वितीय बोर्ड परीक्षा 2026

शुल्क स्लैब	**प्रति छात्र आईएनआर में जमा किया जाने वाला परीक्षा शुल्क**			**डिजिटल भुगतान के लिए विंडो**
	भारत	**नेपाल**	**अन्य देश**	
	कक्षा X	**कक्षा X**	**कक्षा X**	
सामान्य शुल्क	प्रति विषय प्रति अभ्यर्थी 320 रुपये, अर्थात 3 विषयों के लिए प्रति अभ्यर्थी 960 रुपये।	प्रति विषय प्रति अभ्यर्थी 1100 रुपये, अर्थात 3 विषयों के लिए प्रति अभ्यर्थी 3300 रुपये।	प्रति विषय प्रति अभ्यर्थी 2200 रुपये, अर्थात 3 विषयों के लिए प्रति अभ्यर्थी 6600 रुपये।	एलओसी डेटा को अंतिम रूप देने की तिथि। शुल्क का भुगतान केवल अंतिम तिथि से पहले, ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाना है।
विलंब शुल्क के साथ	ऊपर निर्धारित सामान्य शुल्क के अतिरिक्त प्रति अभ्यर्थी 2000 रुपये का विलंब शुल्क।			एलओसी डेटा के अंतिम रूप देने की तिथि। शुल्क का भुगतान केवल अंतिम तिथि तक ऑनलाइन किया जाना है।

महत्वपूर्ण सूचना: शुल्क केवल सीबीएसई द्वारा निर्धारित ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किया जाएगा। ऑफलाइन मोड में, बैंक खाते में सीधे जमा आदि के माध्यम से कोई शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। विद्यालय/अभ्यर्थी द्वारा जमा किया गया ऑफलाइन शुल्क विद्यालय के खातों में अपडेट नहीं होगा और एलओसी स्वीकार नहीं किया जाएगा।

शुल्क भुगतान विधि	
(क)	सीबीएसई द्वारा सभी गतिविधियों के लिए शुल्क केवल निम्नलिखित डिजिटल भुगतान मोड्स के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा: भारत: डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/यूपीआई/नेट बैंकिंग नेपाल सहित अन्य देश: डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/स्विफ्ट
(ख)	शुल्क का भुगतान करने से पहले, विद्यालय एलओसी की चेकलिस्ट के रूप में प्रिंट ले सकते हैं। एक बार शुल्क का भुगतान होने के बाद, अंतिम एलओसी प्रिंट किया जाएगा, और इसके बाद ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में कोई सुधार नहीं किया जा सकेगा।
(ग)	चूंकि स्विफ्ट अपडेट करने में 2 -3 दिन लग सकते हैं, इसलिए भारत के बाहर स्थित विद्यालयों को सलाह दी जाती है कि वे शुल्क के भुगतान सहित अपनी प्रक्रिया इस तरह से पूरी करें कि उनकी प्रक्रिया अंतिम तिथि से पहले समाप्त हो जाए।

(घ)	बैंक संबंधित लेन-देन या सीबीएसई सर्वर पर शुल्क के अपडेट न होने की स्थिति में, विद्यालयों को उस संबंधित बैंक से संपर्क करना चाहिए, जिसके माध्यम से भुगतान किया गया था। बैंक के संपर्क विवरण सीबीएसई की वेबसाइट पर दिए गए हैं। सामान्यतः, बैंक को शुल्क के अपडेट न होने के मामले को हल करने के लिए निम्नलिखित जानकारी की आवश्यकता होगी, इसलिए बैंक से संपर्क करने से पहले यह जानकारी तैयार रखें: (i) भुगतान का तरीका (ii) शुल्क संदर्भ संख्या (iii) जमा की गई राशि (iv) जमा करने की तिथि (v) वह शाखा जहां राशि जमा की गई थी (vi) बैंक संदर्भ संख्या (लेन-देन आइडी जैसा कि बैंक खाते में दिखाया गया है) (vii) आपका संपर्क नंबर
विलंब शुल्क की गणना के लिए उदाहरण	
	शुल्क की गणना के लिए उस तारीख को ध्यान में रखा जाता है, जिस तारीख को डेटा को अंतिम रूप दिया जाता है।
(i)	यदि छात्रों का विवरण अंतिम तिथि से पहले या उसी दिन दर्ज और अंतिम रूप से निर्धारित किया जाता है, तो विद्यालय बिना विलंब शुल्क के अंतिम तिथि तक शुल्क का भुगतान कर सकता है। इसके बाद, विलंब शुल्क लागू होगा।
(ii)	यह ध्यान में रखा जाए कि यदि छात्रों का एलओसी डेटा अंतिम तिथि तक अंतिम रूप से निर्धारित नहीं किया जाता है, तो विलंब शुल्क लागू होगा। डेटा अंतिम रूप से निर्धारित होने के बाद अंतिम तिथि में कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। डेटा का अंतिम रूप से निर्धारण छात्रों के डेटा के प्रवेश/अपलोड के बाद की गतिविधि है।
(iii)	सावधानी: विद्यालय यह सुनिश्चित करें कि एलओसी डेटा समय पर अंतिम रूप से निर्धारित हो और शुल्क निर्धारित समय-सारणी के अनुसार ही किया जाए। एलओसी डेटा के अंतिम रूप देने और शुल्क जमा करने में कोई भी देरी होने पर ऊपर दिए गए अनुसार विलंब शुल्क लागू होगा।